भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3130

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियामक संरचना

3130. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकियों के नैतिक और आर्थिक प्रभावों पर विचार करते हुए इसके लिए विनियामक संरचना तैयार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रति भारत का स्वतंत्र दृष्टिकोण होने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकियों की सीमा-पार प्रकृति को देखते हुए देश की संप्रभुता की संरक्षा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सुगम बनाए गए डीपफेक और अन्य अनैतिक प्रचलनों के संबंध में दर्ज किए गए मामलों, तैयार किए गए आरोप-पत्रों और सजाओं का राज्यवार और विशेषकर आंध्र प्रदेश में ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा नागरिकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए वर्तमान शासन संरचना का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत सरकार प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप 'सभी के लिए एआई' की अवधारणा पर जोर देती है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई समाज के सभी क्षेत्रों को लाभान्वित करे, जिससे नवाचार और विकास को बढ़ावा मिले।

सरकार की नीतियों का उद्देश्य एआई विकास के बीच देश में उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतंत्र, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।

सरकार स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, शासन और अन्य क्षेत्रों में हमारे लोगों की भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, सरकार एआई द्वारा उत्पन्न जोखिमों से भी अवगत है जैसे भ्रम, पूर्वाग्रह, गलत सूचना और डीपफेक एआई द्वारा उत्पन्न कुछ चुनौतियाँ हैं।
सरकार ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) की अध्यक्षता में **भारत-विशिष्ट विनियामक एआई ढांचे के लिए एआई पर एक सलाहकार समूह का गठन किया** है, जिसमें शिक्षा, उद्योग और सरकार के विभिन्न हितधारक शामिल हैं, जिसका उद्देश्य एआई के सुरक्षित और विश्वसनीय विकास और तैनाती के लिए जिम्मेदार एआई ढांचे के विकास से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करना है। एआई गवर्नेंस दिशा-निर्देश विकास पर रिपोर्ट में प्रभावी अनुपालन और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वित, संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है क्योंकि भारत का एआई परिदृश्य लगातार विकसित हो रहा है। एआई गवर्नेंस दिशा-निर्देश विकास पर रिपोर्ट पर सार्वजनिक परामर्श पूरा हो चुका है और 100 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

एआई की चुनौतियों और जोखिमों से निपटने के लिए **सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता से अवगत है कि एआई सुरक्षित और विश्वसनीय है** । तदनुसार, केंद्र सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बाद 25.02.2021 **को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021")** अधिसूचित किए हैं, जिन्हें बाद में 28.10.2022 और 6.4.2023 को संशोधित किया गया। आईटी नियम, 2021 ने सोशल मीडिया बिचौलियों और प्लेटफार्मों सहित बिचौलियों पर विशिष्ट कानूनी दायित्व डाले हैं, ताकि वे सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित कर सकें, जिसमें प्रतिबंधित गलत सूचना, स्पष्ट रूप से झूठी सूचना और डीपफेक को हटाने की दिशा में उनकी त्वरित कार्रवाई शामिल है। आईटी नियम, 2021 में प्रदत्त कानूनी दायित्वों का पालन करने में मध्यस्थों की विफलता के मामले में, वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") की धारा 79 के तहत अपनी सुरक्षा खो देते हैं और किसी भी मौजूदा कानून के तहत प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।

डिजिटल **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 को** 11 अगस्त, 2023 को अधिनियमित किया गया है, जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डेटा फिड्युशरीज़ पर दायित्व डालता है, उन्हें जवाबदेह बनाता है, साथ ही डेटा प्रिंसिपलों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करता है।

ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) के संस्थापक सदस्य और वर्तमान परिषद अध्यक्ष के रूप में भारत ने जुलाई 2024 और दिसंबर 2023 में ग्लोबल इंडियाएआई शिखर सम्मेलन और जीपीएआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है, जहाँ सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के विभिन्न हितधारक सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से एआई आधारित समाधानों के विकास के लिए चर्चा और विचार-विमर्श में शामिल हुए। भारत ने यह सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है कि एआई सभी के लिए उपलब्ध हो और एआई मॉडल और एप्लीकेशनों के लिए सुरक्षा और विश्वास के लिए वैश्विक ढांचा विकसित किया जाए।

डीपफेक और अन्य अनैतिक पद्धतियों के संबंध में रिपोर्ट किए गए मामलों, तैयार किए गए आरोपपत्रों और सजा के संबंध में, इस मंत्रालय के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सरकार ने नागरिकों को इसके प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाए हैं:

i) भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण हमलों सहित नवीनतम साइबर खतरों/कमजोरियों के बारे में अलर्ट और सलाह जारी करता है और कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए निरंतर आधार पर जवाबी उपाय करता है। इस संदर्भ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित एप्लीकेशनों से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल खतरों को कम करने के लिए उठाए जाने वाले सुरक्षा उपायों पर एक सलाह मई 2023 में प्रकाशित की गई थी।

ii) सर्ट-इन उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर संयुक्त साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि सरकारी, सार्वजनिक और निजी संगठनों में साइबर सुरक्षा कार्यबल को नवीनतम कौशल के साथ कुशल बनाया जा सके। प्रतिभागियों को नवीनतम खतरे परिदृश्य और सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने में मदद करने के लिए उद्योग के विशेषज्ञों के साथ एआई-संचालित साइबर सुरक्षा खतरों के क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

iii) सितंबर 2024 में सर्ट-इन और एसआईएसए द्वारा लॉन्च किया गया सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (सीएसपीएआई) कार्यक्रम। प्रमाणन को आईएसओ/आईईसी 17024 मानक को पूरा करके एएनएसआई राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एएनएबी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य व्यावसायिक एप्लीकेशनों और प्रक्रियाओं में सुरक्षित और जिम्मेदार एआई एकीकरण की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना है। सीएसपीएआई कार्यक्रम साइबर सुरक्षा पेशेवरों को एआई सिस्टम को सुरक्षित करने, एआई से संबंधित खतरों को सक्रिय रूप से संबोधित करने और व्यावसायिक वातावरण में भरोसेमंद एआई परिनियोजन सुनिश्चित करने के कौशल से लैस करता है।

iv) सर्ट-इन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर संयुक्त उच्च-स्तरीय जोखिम विश्लेषण रिपोर्ट पर सह-हस्ताक्षर करने वाले अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों में से एक है, जिसका शीर्षक है "साइबर-जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से एआई में विश्वास का निर्माण", जिसे फ्रांस की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी (एएनएसएसआई) द्वारा फरवरी 2025 में प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट विश्वसनीय एआई प्रणालियों का समर्थन करने और एआई मूल्य श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की वकालत करती है और एआई से संबंधित साइबर जोखिमों और विश्वसनीय एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कम करने के तरीकों पर चर्चा का आह्वान करती है।

v) सर्ट-इन ने अगस्त 2023 में एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया है, जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) पर बढ़ते हमलों पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि इन हमलों को कम करने में एआई कैसे उपयोगी हो सकता है।

vi) सर्ट-इन ने फरवरी 2025 में “स्मार्ट सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश” प्रकाशित किए, जिसमें स्मार्ट सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशनों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) के सुरक्षित उपयोग के उपाय शामिल हैं।

****